



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]

No. 535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2003/ज्येष्ठ 23, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2003/JYAISTHA 23, 1925

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का. आ. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1102(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"3 श्रीमती आशा मूर्ति

सदस्य"

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव,
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक,
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।

(ii) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"4क संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)

सदस्य"

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(iii) क्रम सं. 20 और क्रम सं. 21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

"20 श्री तालिब हुसैन चौधरी,

सदस्य

संसद सदस्य (लोक सभा)

21. श्रीमती मेनका गांधी
संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य"
- (iv) क्रम सं० 24 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—
- "24 श्री कनुभाई टेलर
अध्यक्ष
डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट
1058, धोबी शेरी,
नानपुरा,
सुरत-3958001 सदस्य"

[सं. 25-07/2002-डीडी-3]

श्रीमती राजवंत संधू, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : परिषद् का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में सं० 25-1/88-एच. डब्ल्यू-3 तारीख 22 जून, 1993 के रूप में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् परिषद् का पुनर्गठन अधिसूचना सं. का.आ. 125(अ) तारीख 14 फरवरी, 1996 का.आ. सं. 483(अ) तारीख 3 जून, 1998 और का.आ. 617(अ) तारीख 30 जून, 2000 तथा का.आ. 1102(अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2003

S. O. 693 (E).— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E) dated the 21st October, 2002 namely:—

In the said notification,—

- (i) for serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "3 Smt. Asha Mirty
Director General of Employment and Training/Joint Secretary,
Director General Employment and Training,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi. Member";
- (ii) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—
- "4A Joint Secretary (Secondary Education) Member";
Department of Secondary and Higher Education,
Ministry of Human Resources Development,
Shastri Bhavan,
New Delhi.
- (iii) for serial numbers 20 and 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—
- "20 Shri Talib Hussain Chowdhary Member.
Member of Parliament (Lok Sabha)
21. Smt. Maneka Gandhi, Member";
Member of Parliament (Lok Sabha)
- (iv) for serial number 24 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "24. Shri Kanubhai Tailor, Member";
Chairman,
Disabled Welfare Trust,
1058, Dhobi Sheri, Nanpura,
Surat—3958001

[F.No. 25-7/2002-DD-III]

Smt. RAJWANT SANDHU, Jt. Secy.

Note: The principal notification constituting the Council was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. 25-1/88-HW-III dated the 22nd June, 1993 and subsequently reconstituted vide numbers S.O. 125(E) dated the 14th February, 1996; S.O. 483(E) dated the 3rd June, 1998; S.O. 617(E) dated the 30th June, 2000 and S.O. 1102(E) dated 21st October, 2002.